विश्व व्यापार में टिके रहने को सुधार जरूरी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का ताजा फैसला मुश्किलें पैदा कर सकता था। हालांकि, सरकार ने इसका विरोध करते हुए समय से डब्ल्यूटीओ की अपीलेट अथारिटी में इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया है। यह बात ठीक है कि इस फैसले का कोई विपरीत असर घरेलू गन्ना किसानों और चीनी उद्योग पर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों की जिद और सरकार की ढुलमुल नीति के बूते कृषि क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है। वर्ष 2023 के बाद इसे लागू रखने पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

आने वाले दिनों में बदले वैश्विक परिवेश के अनुकूल कृषि क्षेत्र को बदलने की जरूरत है। वैश्विक व घरेलू बाजार में टिके रहने के लिए मांग आधारित खेती पर बल देना होगा। चीनी उद्योग क्षेत्र को आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिलाना होगा, जिससे कम लागत और गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकें।

उद्योग के साथ किसानों के लिए भी घातक : कृषि सुधार संबंधी कानून वापसी से भले ही कुछ किसान संगठन संतुष्ट हों, लेकिन इससे देश की खेती आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ सकती है। डब्ल्यूटीओ का ताजा फैसला गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। निर्यात का रास्ता रुका तो चीनी का भारी उत्पादन न केवल उद्योग के लिए बल्कि किसानों के लिए भी घातक होगा। विश्व बाजार में सालाना 60 से 80 लाख टन चीनी का निर्यात भारत से होता है, जिसके लिए डब्ल्यूटीओ के प्रविधानों का पालन करना ही होगा।

तैयारी की जरूरत

- डब्ल्यूटीओ का ताजा फैसला कृषि क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी
- अपीलेट अथारिटी में आवाज उठाएगी भारत सरकार

" ब्राजील, ग्वाटेमाला और आस्ट्रेलिया ने भारत के चीनी और गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ में विरोध दर्ज कराया था। जल्द ही सरकार अपना पक्ष अपीलेट अथारिटी में रखेगी।

-अविनाश वर्मा, महानिदेशक, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा)

10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए सब्सिडी

डब्ल्यूटीओ की नियमावली के 9.1 (डी) और (ई) के तहत किसी भी कृषि उपज को दी जाने वाली सब्सिडी उस फसल के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ में सुनवाई के दौरान आरोप है कि भारत में गन्ना किसानों को उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के रूप में अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए।